

2077/23043945

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 अक्षर 5821

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०.....

जिला.....

से.....

तक.....

कोस का प्रकार :- श्यती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

लातेहार

सं०.....

108

सन्.....

22-23

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश पर की
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

3

6.12.22

आवेदक / आवेदिका.....

पिता / मति..... साकिन..... थाना.....
.....जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता

प्लॉट

रकबा

पौखरीकला
10

नया / पुराना
29 / 160

3040 / 352 - 0.6 1/2

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत
करें। दिनांक.....22.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

23.12.22

अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा
किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच
प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित
किया है कि श्री..... पिता / मति..... साकिन.....
.....में दाखिल खारिज वाद संख्या..... के द्वारा रकबा.....1.3.81 - 82 80 भूमि
प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पोरवाडी
10

खाता

160

प्लॉट

852

एकवा

0.06 1/2

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पोरवाडी
10

खाता

29

प्लॉट

3040

एकवा

0.06 1/2

उक्त भूमि का जमाबंदी जातिदंड पिता विश्वनाथ मिश्रा साकिन विश्वनाथ मिश्रा के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल पदाधिकारी, /बरवाडीह/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 10 / 19.8.2018 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2010-11 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारि वाद संख्या 10 / 19.8.2018 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगा वर्ष 2010-11 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की सिफ दी जाती है। उक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उदघरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Rohit
23.12.22
अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

Rohit
23.12.22
अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।